न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री राम सिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बरः– 44/2021
आर0सी0एम0एस0 नम्बरः–2021/264

1. बलबीर पुत्र मालाराम जाति अहिर निवारी कृष्ण नगर तन वड़ाउ तहसील खेतड़ी जिला झुझनूं।
2. प्रभुदयाल पुत्र मालाराम(फौत) जाति अहिर निवासी कृष्ण नगर तन वड़ाउ तह. खेतड़ी जिला झुझनूं।
2/1. सुरेश पुत्र प्रभुदयाल जाति अहिर निवासी कृष्ण नगर तन बड़ाउ तह. खेतड़ी जिला झुझनूं।
2/2. सुमन पुत्री प्रभुदयाल जाति अहिर निवासी कृष्ण नगर तन बड़ाउ तहसील खेतड़ी जिला झुझनूं।
2/3. संकूतला पत्नी प्रभुदयाल जाति अहिर निवासी कृष्ण नगर तन बड़ाउ तह. खेतड़ी जिला झुझनूं।
3.ओमप्रकाश पुत्र मालाराम(फौत) जाति अहिर निवासी कृष्ण नगर तन वड़ाउ तहसील खेतड़ी जिला झुझनूं।
3/1. रजनीश पुत्र औमप्रकाश जाति अहिर निवासी कृष्ण नगर तन बड़ाउ तहसील खेतड़ी जिला झुझनूं।
3/2. नवीन पुत्र औमप्रकाश जाति अहिर निवासी कृष्ण नगर तन वड़ाउ तह. खेतड़ी जिला झुझनूं।
3/3. तारावती पत्नी औमप्रकाश जाति अहिर निवासी कृष्ण नगर तन बड़ाउ तह. खेतड़ी जिला झुझनूं।

प्रार्थीगण....

बनाम

1. तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू। अप्रार्थी....

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 18.08.2021

प्रार्थीगण ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम केड पटवार हल्का केड तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 371, 372, 373, 374, 375 कुल किता 5 कुल रकबा 2.9200 हैक्टर अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से बाबत् कोई विवाद नही है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति अहीर के बजाय जाट दर्ज हो गई जो गलत दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थीगण की सही जाति अहीर है, जो दुरूस्त होने योग्य है। राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थीगण की जाति अहीर ही अंकित है।

अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम केड पटवार हल्का केड तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 371, 372, 373, 374, 375 कुल किता 5 कुल रकबा 2.9200 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण की जाति जाट की बजाय अहीर दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबावदेही तय की गई।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबावदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी से जबाब/ तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त की प्रार्थीगण की जाति जाट नहीं होकर अहीर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:04:38 IST
Reason: SelfAttested

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम केड पटवार हल्का केड

Scanned with CamScanner

तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 371, 372, 373, 374, 375 कुल किता 5 कुल रकबा 2.9200 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति जाट दर्ज रिकार्ड है, जो गलत दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थीगण के जाति अहीर है तथा प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजों यथा जाति प्रमाण पत्रों, शपथ पत्र बलबीर, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 ग्राम श्री कृष्ण नगर प0 ह0 बड़ाउ के वर्तमान खाता संख्या 43, 60, 44, 59, तथ्यात्मक जांच रिर्पोट तहसीलदार उदयपुरवाटी। अतः ग्राम केड पटवार हल्का केड तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 371, 372, 373, 374, 375 कुल किता 5 कुल रकबा 2.9200 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण की जाति जाट के बजाय अहीर दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम केड पटवार हल्का केड तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 371, 372, 373, 374, 375 कुल किता 5 कुल रकबा 2.9200 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति जाट दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अलावा अन्य दस्तावेज दस्तावेजो य जाति प्रमाण पत्रों, शपथ पत्र बलबीर, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 ग्राम श्री कृष्ण नगर प0 ह0 बड़ाउ के वर्तमान खाता संख्या 43, 60, 44, 59, तथ्यात्मक जांच रिर्पोट में सही जाति अहीर अंकित है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण की सही जाति अहीर है। इस प्रकार प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपनी जाति जाट की बजाय अहीर दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

## आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम केड पटवार हल्का केड तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 371, 372, 373, 374, 375 कुल किता 5 कुल रकबा 2.9200 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण की जाति जाट की बजाय अहीर दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

18/8/21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूँ)

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/8/21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूँ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:04:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner